"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2008—आश्विन 25, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं महेन्द्र कुमार पंचभावे आ. स्व. रायसिंग पंचभावे, आयु लगभग 55 वर्ष, जाति महार, निवासी-चन्द्राकालोनी, वार्ड नं. 38 बसंतपुर, राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं तथा श्रम पदाधिकारी, राजनांदगांव (छ. ग.) के कार्यालय में श्रम निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं. मैंने अपनी सुविधा की दृष्टि से अपना उपनाम पंचभावे की जगह भावे परिवर्तित कर लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे महेन्द्र कुमार भावे आत्मज स्व. रायसिंग पंचभावे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
महेन्द्र कुमार पंचभावे आ.- स्व. रायसिंग पंचभावे निवासी-चन्द्राकालोनी, वार्ड नं. 38 बसंतपुर, राजनांदगांव (छ. ग.)	महेन्द्र कुमार भावे आ.- स्व. रायसिंग पंचभावे निवासी-चन्द्राकालोनी, वार्ड नं. 38 बसंतपुर, राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.

अंबिकापुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

क्रमांक 3302/वाचक-1/2008.—यह कि श्री भवानी शंकर सिंह आ. स्व. उद्धव सिंह, निवासी शिवधारी कॉलोनी, अंबिकापुर, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-10-2008 को विचार के लिए लिया जाएगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, अनुविभाग, अंबिकापुर के लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21-10-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच कराना प्रस्तावित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक पक्ष के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	शिवायन मंदिर ट्रस्ट, शिवधारी कॉलोनी, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.
2.	चल संपत्ति	:	78735.00
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि ख. क्र. 430/1 में से रकबा 0.10 एकड़.

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी,
पंजीयक लोक न्यास.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़

डोंगरगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) एवं छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 2231/प्र-1/अ. वि. अ. /08.—चूंकि आवेदक श्री एन. आर. देवांगन अध्यक्ष, श्री नागदेव मंदिर समिति, न्यू बस स्टैण्ड, डोंगरगढ़, तहसील डोंगरगढ़ ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24-10-2008 को विचार हेतु नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री नागदेव मंदिर समिति, न्यू बस स्टैण्ड, डोंगरगढ़, जिला-राजनांगांव (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	चल संपत्ति के रूप में 20,000/- रु. (बीस हजार रु.) दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक डोंगरगढ़ में जमा है.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

एस. आर. महिलांग,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

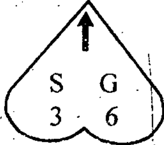
आदेश द्वारा श्री मो. शाहिद, भा. व. से. वन मण्डलाधिकारी, बस्तर (सा.) वन मण्डल, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक 629/मा. चि. /1675.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी, बकावण्ड (सा.) के अन्तर्गत बीट हैमर नलपावण्ड परिसर रक्षक श्री अर्जुन प्रसाद पानीग्राही द्वारा दिनांक 19-09-08 को कक्ष क्रमांक-1301 पी का भ्रमण कर शाम को मुख्यालय नलपावण्ड वापस जाते समय मोटर साइकिल से हैमर रखा थैला कहीं अज्ञात स्थान पर गुम गया है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये

उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है. उक्त हैमर की राशि रुपये 40/- (रुपये चालीस मात्र) श्री अर्जुन प्रसाद पानीग्राही परिसर रक्षक नलपावण्ड के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटम पुलिस थाने अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.



मो. शाहिद,
भा. व. से.
वन मंडलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/1895.—जय हनुमान सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित लोको कालोनीं पंजीयन क्रमांक 3629 दिनांक 24-2-95 जिला बिलासपुर विगत वर्षो से अकार्यशील रहने के कारण छ..ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि समिति के सदस्यों की बैठक अहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सभी सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. वर्तमान में 253 सदस्य हैं, संस्था के पास प्रदत्त अंशपूंजी रु. 25000.00 है. संस्था द्वारा 2006-07 तक अंकेक्षण करा लिया गया है वर्ष 2006-07 में रु. 33000.00 अनियंत्रित सामग्री विक्रय किया गया है. समिति द्वारा अनियंत्रित खाद्य सामग्री का क्रय-विक्रय किया जा रहा है. भंडार के कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिए प्रस्तावित कमेटी का गठन किया जाता है.

1.	श्री संतोषी यादव	अध्यक्ष
2.	-"- प्रेमलाल विश्वकर्मा	उपाध्यक्ष
3.	-"- एम. पी. निवास राव	संचालक
4.	-"- चाकू चार्ज	-"-
5.	-"- आत्माराम	-"-
6.	श्रीमति जमुना बाई	-"-
7.	श्रीमति कुसूम बाई	-"-

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत जय हनुमान सहकारी उपभोक्ता भंडार, लोको कालोनी, बिलासपुर को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1896.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/318/बिलासपुर दिनांक 2-3-2007 के तहत खदान कामगार सहकारी समिति मर्यादित, सोनपुरी, पंजीयन क्रमांक 3757 दिनांक 17-9-96, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आई. एस. तंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1897.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1963/बिलासपुर दिनांक 5-10-2007 के तहत मिनी माता उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, घासीदास नगर जरहाभाटा, पंजीयन क्रमांक 3621 दिनांक 24-2-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1902.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/752/बिलासपुर दिनांक 13-6-2007 के तहत प्रगतिशील बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 108 दिनांक 23-8-2006, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1903.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/2429/बिलासपुर दिनांक 9-10-2006 के तहत उच्चतर माध्यमिक शाला उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, मुंगेली, पंजीयन क्रमांक 2723 दिनांक 19-3-63, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत श्री आई. एस. तंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1904.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/970/बिलासपुर दिनांक 8-5-2008 के तहत शिव सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, मोपका, पंजीयन क्रमांक 2991 दिनांक 19-2-73, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1904.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/912/बिलासपुर दिनांक 23-7-2008 के तहत श्री गंगा सहकारी उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बंगलायार्ड बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3605 दिनांक 17-2-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव

डोंगरगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2008

निम्नांकित परिसमापनाधीन सहकारी समितियों का देनदारी एवं लेनदारी का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्ती हेतु कार्यवाही किया जा रहा है. इन समितियों के संबंध में किसी को कोई आपत्ति/दावा हो तो अधोहस्ताकर्ता के समक्ष सूचना प्रकाशन से 60 दिवस के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं.

1. भारतीय कृषक बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, तुमड़ीबोड़, पंजीयन क्रमांक 364, दिनांक 25-7-1997.

2. श्री बर्फानी सब्जी फल-फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगांव, पंजीयन क्रमांक 348, दिनांक 17-10-1996.

3. खंडेलवाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 177 दिनांक 29-12-1988.

बी. आर. सोनी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली, बिलासपुर, छ. ग.

मुंगेली, दिनांक 25 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यूA.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी, यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पं. क्र. व दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ईटभट्ठा उद्योग सह. समि. मर्या., जरहागांव.	2755/ 12-12-63	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	खदान कामगार सह. समि. मर्या., खर्राघाट.	3900/ 7-7-98	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
3.	खदान कामगार सह. समि. छटन.	3758/ 17-09-96	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	दुग्ध सह. समि. मर्या., दशरंगपुर	3145/ 26-10-95	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
5.	दुग्ध सह. समि. मर्या., जरहागांव	3142/ 26-10-85	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
6.	दुग्ध उत्पादन सह. समि. मर्या., डांडगांव.	3644/ 1-3-97	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
7.	आगर खदान सह. समि. मर्या., मुंगेली.	107/ 04-04-2001	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
8.	ईंट भट्ठा सह. समि. मर्या., कामता, मुंगेली.	3500/ 12-04-93	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
9.	किसान फलोद्यान सह. समिति मर्या., बरेला.	3534/ 22-07-94	इन्द्रजीत सिंह तंवर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

आई. एस. तंवर,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

क्रमांक/परि./08/Q.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी गृह निर्माण सहकारी समित मर्या. मोपका, बिलासपुर.	95/3-11-97	महेन्द्र बन्दे (सहकारी निरी.)	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)
2.	रामानंद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	150/11-7-03	---,,---	---,,---
3.	जय भवानी प्राथ. उपभोक्ता भंडार सह. समि. मर्या., रामदास नगर, बिलासपुर.	3602/17-2-95	---,,---	---,,---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	महिला रेत खदान सह. समिति मर्या., टिकरापारा, बिलासपुर.	3716/23-2-96	महेन्द्र बन्दे (सहकारी निरी.)	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)
5.	शिवशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिंरगिट्टी, बिलासपुर.	177/6-10-04	---,,---	---,,---
6.	गणेश नगर प्राथ. सह.उपभोक्ता भंडार मर्या., गणेशनगर, बिलासपुर.	3138/17-4-85	---,,---	---,,---
7.	मोपका दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मोपका, बिलासपुर.	3562/28-12-94	---,,---	---,,---
8.	उन्नत पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	49/3-6-63	---,,---	---,,---
9.	रामकृष्ण प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., सरकंडा, बिलासपुर.	3407/17-9-91	---,,---	---,,---
10.	पं. दीनदयाल प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., महारानी लक्ष्मीबाईनगर, बिलासपुर.	3465/13-3-92	---,,---	---,,---

महेन्द्र बन्दे,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.